

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूमबर

प्रार्थी श्री क. हेडाला  
कस्म मुकदमा रा. का.

बनाम

विपक्षी मुक्त गिरजाकर के बजाय भूपेन्द्र  
प्रकरण संख्या 51/2020

कार्यवाही विवरण

03/08/25

पत्रा. पेश हुई। वादीगण मय आधिपत्या अनुपाधित। वकील प्रतिवादी अधासित। वकील वादीगण के न्यायद्वित म आगामी पेशी पर साह्यवादी एवं संशोधित टाईटल पेज पेश करके हेतु अवसर दिया जाता है। म. वास्ते साह्यवादी एवं संशोधित टाईटल पेज के फिनांक :- 04/08/25 को पेश हो।  
शुभ

04/08/25

पत्रावली पेश हुई। वादी-प्रतिवादी उपरिधत पीछासीन अधिकारी बैठक/कानून व्यवस्था/अभ्य. प्रशासनिक काम होने से पत्रावली दिनांक 18/08/25 को पेश हारें।  
आज्ञा से  
रीडर  
उपखण्ड अधिकारी  
सलूमबर

18/08/25

पत्रा. पेश हुई। वादीगण मय आधिपत्या अनुपाधित। जिन्हे न्यायालय समय पर विधिवत रूप से वार-वार भावने जागवाई गई उसके उपरान्त भी वादीगण मय आधिपत्या के गैर अधिर रहने से वादीगण का यह वाक अन्तगति धारा-53, 188 R.T.A. का भद्रम हाजिरी व कस्म फेरवी में खारिज किया जाता है।  
फावली केसल सुमर होकर दाखिल दफ्तर में भेदना खुले न्यायालय में सुनधा गया।

सहायक कलक्टर सलूमबर  
जिला सलूमबर